कार्यपालक अभियंता(याँ०) का कार्यालय
सिंचाई याँत्रिक मोनिटरिंग प्रमंडल पटना ।

E-mail ID:-eem.mon05@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)–03/2025–26

कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्रियान्वित सभी याँत्रिक सम्बंधित योजनाओं का निरीक्षण एवं अन्य कार्यालय संबंधी कार्यों हेतु भाड़े पर 01 अदद वाहन (बोलेरो /स्कॉर्पिओ) के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिक / फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। जिसे लिफाफे में दिनांक– 30.03.2026 को 3.00 बजे अपराह्न तक सिंचाई याँत्रिक मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न में खोला जायेगा । कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेगें ।

1	कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथिः–	दिनांक– 19.03.2026।
2	कोटेशन जमा करने की अवधिः–	दिनांक– 30.03.2026 को 3.00 बजे अपराह्न तक।
3	कोटेशन जमा करने का स्थानः–	कार्यपालक अभियंता (याँ०) का कार्यालय, सिंचाई याँत्रिक मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना।
4	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :–	दिनांक – 30.03.2026 को 3.30 बजे अपराह्न।
5	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पताः–	कार्यपालक अभियंता (याँ०) का कार्यालय, सिंचाई याँत्रिक मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना।

नियम एवं शर्ते

1. भाड़े पर वाहन दिनांक– 01.04.2026 से 31.03.2027 तक लिया जायेगा।
2. भाड़े का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र ,बीमा ,रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय ।
3. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी०एस०टी० एवं पैन कार्ड कोटेशन के साथ समर्पित की जाय ।
4. कोटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा ।

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	ईधन रहित मासिक भाड़े सभी करों यथा G.S.T etc. सहित

5. वाहन परिवहन विभाग, बिहार सरकार मोटरयान अधिनियम के मानकों के अनरूप परिचालन योग्य एवं अच्छे हालत में होना चाहिये । वाहन का मॉडल 2021 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

6. वाहन का दैनिक रख रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार की मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
7. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोड़कर) की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी ।
8. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिये । वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
9. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए ।
10. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म की होगी ।
11. वाहन के उपयोग के विरुद्ध मासिक किराया ईधन रहित देय होगा ।
12. वाहन के उपयोग के लॉगबुक का संधारण वाहन चालक की जवावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्ट करेगें, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईधन रहित भुगतान किया जायेगा ।
13. वाहन का किराया प्रतिमाह दर समाहरणालय,पटना जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर 31900.00 (रु० इकतीस हजार नौ सौ) मात्र प्रतिमाह एवं आपके द्वारा उद्धृत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार होगा तथा भुगतान आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा। ईधन रहित एवं चालक सहित (सभी कर सहित) देय होगा । कोटेशनदाता के साथ रू0 1000.00 (रू० एक हजार मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है ।
14. क्रमांक 13 में अंकित भुगतान के अलावा मात्र डीजल फ्यूल विभाग के द्वारा दिया जायेगा।
15. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा,रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा ।
16. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एंव रात्री समय में होता है । अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/ किराया देय नहीं होगा।
17. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेगें ।
18. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा । किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा । वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगें, अगर वे वैसा नहीं करते हैं तो उस दिन के भाड़े का भुगतान दुगुना दर से कटौती कर ली जायेगी ।
19. कोटेशन कभी भी बिना बताये अधोहस्ताक्षरी के द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
20. संबंधित मद आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार करों की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
21. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है ।
22. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता को वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात जी०एस०टी०, आयकर इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा । विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरुद्ध निर्णित मासिक दर से ईधन रहित देय होगा।

23. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये ईधन अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
24. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है । उक्त हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा ।

ईच्छुक वाहन मालिक /फर्म उक्त क्रमांक 01 से 24 तक शर्तों को स्वीकार करने संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेगें । एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। जिसकी सूचना वैध कोटेशनदाता के मोबाईल न० / Whatsapp/Email ID के द्वारा दिया जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता लॉटरी के समय उपस्थित रहेगें अन्यथा इनकी या इनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा, इस संबंध मे कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

शपथ पत्र एंव वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

19/03/2016

(गुंजन कुमार)
कार्यपालक अभियंता (याँ०),
सिंचाई यॉंत्रिक मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना